

पेरा ही। ३.

११-५-२२ परावणी पेरा ही। ११२ आदी २१३१११

परावणी आदी दिनांक २६-५-२२ की

पेरा ही। ११।

२६-५-२२ परावणी पेरा ही। ११२ आदी २१३१११

परावणी आदी दिनांक २०-६-२२ की

पेरा ही। ११।

२०-६-२२ परावणी पेरा ही। परावणी बाहेर

आदी दिनांक २०-७-२२ की पेरा ही।

२०-७-२२ परावणी पेरा ही। परावणी बाहेर

आदी दिनांक १२-८-२२ की पेरा ही।

१२-८-२२ परावणी पेरा ही। परावणी व. अवाक

दिया गया। न्यायालय व सत्रांत में आया है।

कि सत्रा न्यायालय में प्रस्तावित २५ वें सत्रांत

में सत्रांत प्रस्ताव के विरुद्ध सत्रांत विरुद्ध

का प्रस्ताव नहीं किया गया था जिसमें सत्रांत

२५ वें सत्रांत में भारतीय राजस्थान उच्च

न्यायालय के पूर्व डी.के. सिविल रिट निवेदन

संख्या १००/२०१९ के निर्णय दिनांक १३-७-२१ के

परिप्रेक्ष्य में भारतीय क्रिमिनी कोर्ट की ओर से

२०१३ में विरुद्ध के उक्त प्रस्ताव के

विरुद्ध प्रस्ताव नहीं हुआ परावणी में अर्थात्

के सिवाय के उक्त सत्रांत में भारतीय क्रिमिनी

को, परावणी के सम शुद्ध है। नमूना व सत्रांत की

जासू पापिलम फाइल है। ११।